संख्या-533/2020/583/22-2-2020-17(191)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 दिसम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यदुनाथ उर्फ पप्पू पुत्र श्री रामकुमार यादव, निवासी जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 20.05.2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी यदुनाथ उर्फ पप्पू पुत्र श्री रामकुमार यादव,निवासी-विधवाही, थाना-चिल्ला, जनपद-बांदा का निवासी है। बन्दी द्वारा खलिहान के विवाद को लेकर दिनांक 29.06.2008 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दो नाली बन्दूक व तमंचा से गोली मारकर 02 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-221/2008 व 223/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307/**34** व आर्म्स एक्ट की धारा-25 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज डी0ए0एक्ट बांदा के आदेश दिनांक 05.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2019 तक 10 वर्ष 05 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 09 माह 12 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, समयपूर्व रिहाई उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्टेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी यदुनाथ उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-375/2015) पुत्र श्री रामकुमार यादव, निवासी जनपद-बांदा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-533/2020/583(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in